# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

## पीठासीन अधिकारी :—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः—76 / 2023

प्रार्थीगण::—

1. द्वारकाराम पुत्र कानाराम जाति भील
2. हरीराम पुत्र नेनाराम जाति भील
3. कानाराम पुत्र नेनाराम जाति भील

निवासीगण गुडानाल तहसील सिवाना जिला बालोतरा

**—::बनाम::—**

विप्रार्थीगण::—

1. जेठाराम पुत्र वागाराम जाति भील
2. प्रतापराम पुत्र वागाराम जाति भील
3. बुधाराम पुत्र वागाराम जाति भील

   निवासीगण नाल तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा एडीबी शाखा सिवाना
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री कैलाश पुरी वकील प्रार्थी

2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

**:: आदेश::**

दिनांकः— 02.02.2026

प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र विप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 434 रकबा 0.7967 हैक्टेयर भूमि ग्राम नाल तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की दक्षिण की ओर लगती विप्रार्थी सं. 1 से 3 की खातेदारी भूमि ख.सं. 441 से हो[illegible] डामर सडक जो मौके पर आबादी भूमि खसरा संख्या 819 / 439 के बदिशा [illegible] में चलरही है तक जाता है। प्रार्थी को अपने खेत से आवा[illegible] हेतु [illegible] के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परि[illegible] (अ) में बरंग लाल से दर्शित बिन्दू संख्या अ से ब विप्रार्थी सं. 1 से 22 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:41:30 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के मध्य हुए पंजीबद्ध इकरारनामा आपसी सहमति से रास्ते दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 3 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मौजा श्री राम नगर के खसरा संख्या पुराना 434 (नया खसरा संख्या 166) में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि पुराना खसरा संख्या 441 (नया खसरा संख्या 148) ही विकल्प मे से निकटतम रास्ता है, तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता का नहीं होने तथा उक्त रास्ता वर्तमान में चालू होना व उक्त प्रस्तावित रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा मुरड डालने का कथन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:41:30 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम श्री राम नगर तहसील सिवाना की प्रार्थीगण के

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

434 (नया खसरा संख्या 166) में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि पुराना खसरा संख्या 441 (नया खसरा संख्या 148) लम्बााई 226 चौडाई 4 मीटर रकबा 0.0904 हैक्टेयर भूमि रिपोर्ट के संलग्न बिन्दू ए से बी बरंग लाल से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। **पंजीबद्ध इकरारनामा अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा रास्ते हेतु प्रभावित भूमि के क्षतिपूर्ति के रूप में राशि प्राप्त किये जाने से प्रस्तावित रास्ते में प्रभावित होने वाली भूमि क्षतिपूर्ति के रूप विप्रार्थी संख्या 1 से 3 को राशि देय नही होगी।** तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना को माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2025/628 दिनांक 30.07.2025 को प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 02.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:41:30 IST
Reason: SelfAttested

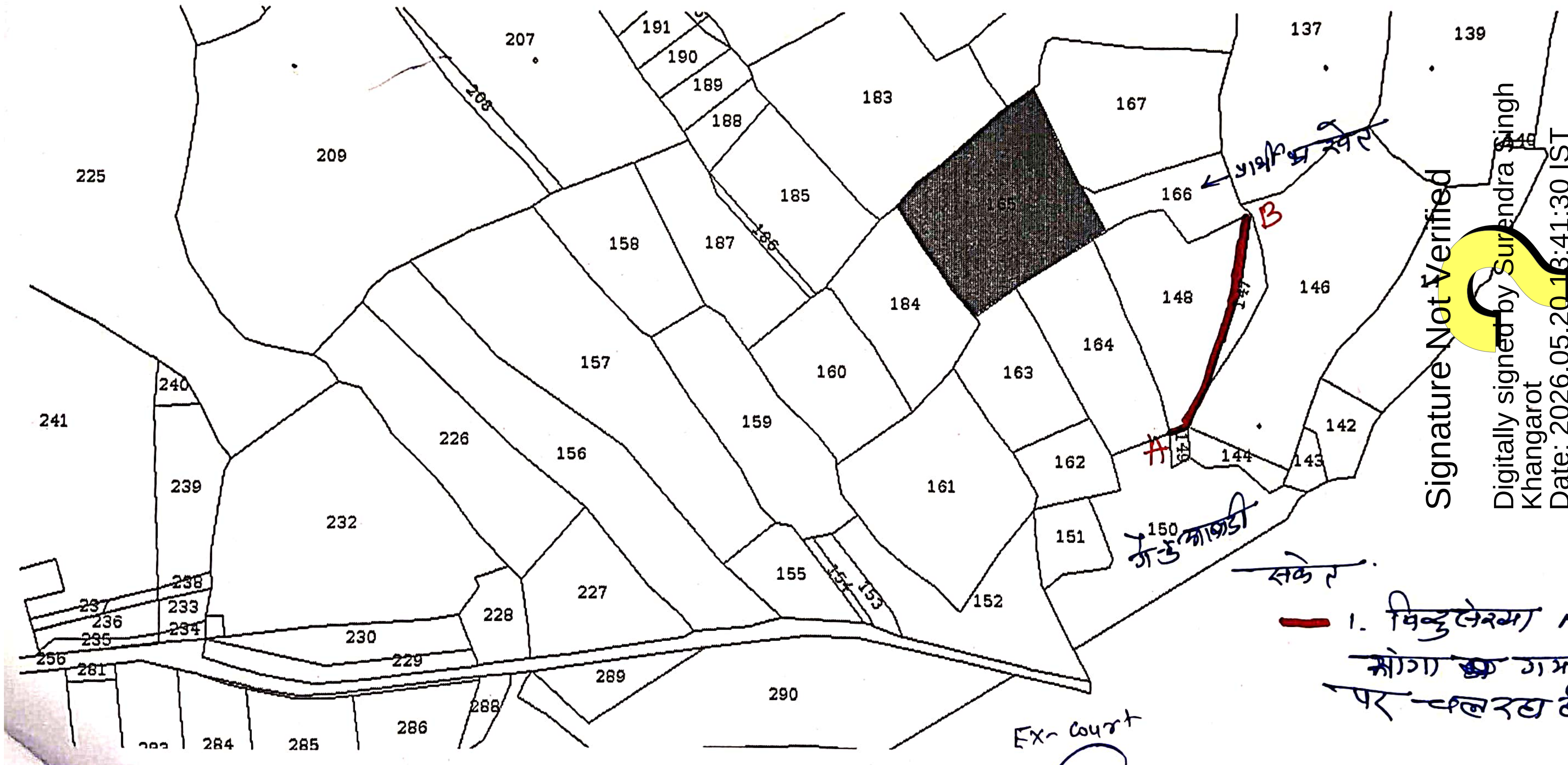


गैर मुमकिन नाली (best reading; handwritten, unclear)

Ex-Court

संकेत :-

1. विद्युतलाइन A से B प्रार्थी द्वारा मौके पर गमाराल्ला मौके पर चल रहा है (handwritten; partly unclear)

27.6.2027

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:41:30 IST
Reason: SelfAttested